कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक 1623 / 12-1 दिनांक, रामनगर, 28/10/2021

सेवा में,

प्रभागीय प्रबन्धक खनन
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
रामनगर (नैनीताल)

विषयः **जनपद– उधम सिंह नगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में कोसी दाबका भाग–2 से 150 है0 वन भूमि में उप खनिज चुगान (रेता, बजरी, बोल्डर) हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को 10 वर्षों की अवधि के लिये अनुमति दिये जानेके संबंध में लगाई गयी EDS** आपत्ति के संबंध में।

संदर्भः **वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त द्वारा ऑन लगाई गयी आपत्ति।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण पर वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी द्वारा बिन्दु संख्या 10 पर आपत्ति लगाई गयी थी कि नोडल अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या **10– "प्रकरण में उप खनिज चुगान हेतु अनुमति दी जानी है, लीज अवधि का प्रमाण–पत्र संलग्नक करने का औचित्य स्पष्ट करें"** जिसके प्रतिउत्तर में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पुनः लीज अवधि का प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है। उक्त प्रतिउत्तर को इस कार्यालय द्वारा वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त महोदय को ऑन लाईन फारवर्ड किया गया जिस पर वन संरक्षक महोदय द्वारा ऑन लाईन आपत्ति लगाई गयी है, जिसे इस कार्यालय द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को ऑन लाईन फारवर्ड किया गया है, परन्तु आतिथि तक भी प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त लगाई गयी आपत्ति का सम्यकरूपेण निराकरण नहीं किया गया है।

अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि कृपया उक्त लगाई गयी ई.डी.एस. आपत्ति का ऑन लाईन निराकरण कर इस कार्यालय को तुरन्त अवगत कराते हुए ऑन लाईन किये गये निराकरण की पत्रावलि की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित का कष्ट करें, ताकि प्रकरण को उच्च स्तर को प्रेषित करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। लिखित प्रत्यूत्तर प्राप्त होने तक प्रकरण ऑन लाईन आपको वापिस भेजा जा रहा है।

भवदीय

(बी.एस. शाही)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर